(12)

ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

लगान निर्धारण वाद संख्या 18/14

सुदामा महतो –बनाम– राज्य

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	आवेदक सुदामा महतो पिता स्व0 गोवर्धन महतो निवासी ग्राम+पो0 चुगलामो थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजा बनपुरा अन्तर्गत पुराना खाता नं0 11 पुराना प्लौट नं0 261 रकबा 0.69 ए0 नया खाता नं0 48, नया प्लॉट नं0 452, रकबा 0.31 ए0 एवं प्लॉट नं0 465, रकबा 0.38 ए0 भूमि का लगान निर्धारण कायम करने का अनुरोध किया है। आवेदक के आवेदन उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात विधिवत् अभिलेख खोला गया। पक्षकार को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का कागजात एवं लिखित तहरीर दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। नोटिस का तामिला साक्ष्य हेतु अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि आवेदक के पिता ग्राम चुगलामों पो0–चुगलामों, थाना बरकट्ठा के निवासी है। मौजा बनपुरा थाना नं0 64 अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि हुकुमनामा द्वारा जमींदार लाला राम पाण्डेय से संवत 1995 में आवेदक के पिता स्व0 गोवर्धन महतो ने प्राप्त किये तथा जमींदारी लगान रसीद प्राप्त किये। ग्राम बनपुरा में जब माईनर सर्वे हुआ, जिसमें प्लॉट नं0 452, रकबा 0.31 ए0 एवं प्लॉट नं0 465, रकबा 0.38 ए0 परिवर्तित होकर सुरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग के अन्तर्गत दर्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी आवेदक के पिता को दिनांक 11.11.1978 के पूर्व तक नहीं थी। जब वन विभाग के कर्मचारी दिनांक 11.11.1978 एवं दिनांक 23.02.1981 को जमीन छोडने हेतु कहा गया तो आवेदक के पिता ने मुंशिफ कोडरमा के न्यायालय में टाइटल सुट सं0 30/2081 गोवर्धन महतो वगै0 बनाम बिहार सरकार दायर किया गया। न्यायालय मुंशिफ कोडरमा द्वारा दिनांक 30.09.1981 एवं 14.11.1981 को पारित आदेश में प्रश्नगत भूमि को कृषि भूमि घोषित करते हुए अपीलार्थी (आवेदक के माता पिता) को उक्त भूमि का स्वत्व दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में आवेदक के पिता वगै0 द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा से सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया, लेकिन काफी समय तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात आवेदक ने पुनः अंचल अधिकारी, बरकट्ठा से सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया लेकिन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में आवेदन देने को कहा। आवेदक द्वारा लगान निर्धारण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही द्वारा आवेदन स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के पत्रांक 449/रा0, दिनांक 11.09.14 के अलोक में अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा पत्रांक 193, दिनांक 21.03.2015 द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0 02/14–15 संधारित करते हुए जांच प्रतिवेदन सह लगान निर्धारण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बनपुरा थाना सं0 64 खाता सं0 48 सर्वे खतियान मे "सुरक्षित वन भूमि" है। इस भूमि पर वर्तमान में आवेदक का धान खेत के रूप में दखल कब्जा है। प्रस्तावित भूमि के प्लॉट सं0 452, 465 के रकबा क्रमशः 0.31 ए0 एवं 0.38 ए0 कुल	

27/08/15

रकबा 0.69 ए0 में प्लॉट सं0 465 के रकबा 0.04 ए0 भूमि पर खांसो मियां पिता टहल मियां का दखल कब्जा है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बनपुरा के पुराना सर्वे 1911–12 के अनुसार खाता सं0 11 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, जो वर्तमान में पुराना प्लॉट सं0 261, रकबा 0.69 ए0 भूमि सुदामा महतो पिता स्व0 गोवर्धन महतो के दखल में है। नया सर्वे 1961–62 के अनुसार खाता सं0 48 सुरक्षित वन विभाग के खाते की भूमि है, जिसमें प्लॉट सं0 452 रकबा 0.31 ए0 वर्तमान में धान खेत–।। के रूप में तथा प्लॉट सं0 465 रकबा 0.38 ए0 मधे रकबा 0.34 ए0 भूमि धान खेत–।।। के रूप में है।

अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा प्लॉट सं0 465 के रकबा 0.38 ए0 मधे रकबा 0.04 ए0 भूमि जो वर्तमान में श्री खांसो मियां पिता टहल मियां के दखल कब्जा में है को छोडकर मौजा बनपुरा के खाता सं0 48 प्लॉट सं0 452, 465, रकबा क्रमशः 0.31 ए0, 0.34 ए0 कुल रकबा 0.65 ए0 भूमि का लगान 10.00 (दस) रूपये अलावे शेष निर्धारित करते हुए लगान निर्धारण संबंधित फार्म–एम एवं नक्शा तीन–तीन प्रतियों मे प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, एवं आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, न्यायालय मुंशिफ कोडरमा के टाईटल वाद सं0 30/2081, गोवर्धन महतो वगै0 बनाम बिहार सरकार में दिनांक 30.09.1981 एवं 14.11. 1981 को पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के जांच प्रतिवेदन एवं लगान निर्धारण प्रस्ताव के आधार श्री सुदामा महतो पिता स्व0 गोवध्रन महतो ग्राम+पो0 –चुगलामों के नाम मौजा बनपुरा खाता सं0 48, प्लॉट सं0 452, रकबा 0.31 ए0, प्लॉट 465, रकबा 0.34 कुल रकबा 0.65 ए0 भूमि का लगान 10.00 (दस) रूपये अलावे शेष अनुमोदित करते हुए लगान निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

27/08/14

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

27/08/14

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.06.18 14:02:55 +05:30
Location: 192.168.32.238